न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 3/2019 (राजसमन्द डिकी)

1. भैरूसिंह पिता शंभुसिंह जी राजपूत, निवासी गांगास, हाल निवासी वेकल्दा, तहसील पेटलावद, जिला जाबुआ (म.प्र.)
2. तेज कुंवर पिता शंभुसिंह जी राजपूत पत्नी चमनसिंह जी, निवासी गांगास, हाल निवासी गोवलियॉ, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. धूलसिंह पिता नवलसिंह जी राजपूत, निवासी गांगास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नथु कुंवर पिता नवलसिंह जी पत्नी गोकलसिंह जी राजपूत, निवासी गांगास, हाल निवासी डांगडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नारायण कुंवर पिता नवलसिंह जी पत्नी बहादुरसिंह जी राजपूत, निवासी गांगास, हाल निवासी कालीमगरी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. अर्जुनसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत, निवासी गांगास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. उम्मेदसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत, निवासी गांगास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. गणपतसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत, निवासी गांगास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. गोपाल कुंवर पिता अमरसिंह जी पत्नी दलपतसिंह राजपूत, निवासी गांगास, हाल निवासी शेरपुर, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)
8. भगवान कुंवर पिता अमरसिंह जी पत्नी तेजसिंह राजपूत, निवासी गांगास, हाल निवासी कालीमगरी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
9. समन कुंवर उर्फ धापु कुंवर पिता अमरसिंह जी पत्नी मानसिंह राजपूत, निवासी गांगास, हाल निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)

10. चांदी पत्नी स्वर्गीय घासीराम जी जाट, निवासी गांगास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. डाली बाई पत्नी जीतु जी जाट, निवासी गांगास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 16.05.2018 प्र.सं. 187/13

———:::———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मुकेश शर्मा अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री सी.एस. शक्तावत अभिभाषक रेस्पो॰सं॰ 1 से 9

———:::———

निर्णय दिनांक

21—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 द्वारा अन्य अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजी नंबर 744, 747, 631, 74, 75, 77 कुल किता 6 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा भ्मि ग्राम गांगास में स्थित है, जो वादीगण के पूर्वज श्री नवलसिंह मुतबनना रणजीतसिंह एवं अमरसिंह पिता अभयसिंह जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज शंभुसिंह मुतबनना पृथ्वीसिंह से दिनांक 28—05—1963 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गयी हैं तब से वादीगण का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमियों का तुलनात्मक गत भू माप व वर्तमान माप वाद पत्र की कलम संख्या 5 अनुसार है, किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रह जाने से उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दिनांक

17–06–2013 को अवैध रूप से विक्रय कर दिया गया है, जो वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। अतः वादीगण को उक्त भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 5 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए प्रतिपवाद प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिनके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 7 तनकियात कायम की गयी।

प्रकरण दिनांक 16–05–2018 को लोक अदालत में रखा जाकर अधिवक्ता पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 5 का प्रतिपवाद खारिज कर दिया तथा वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–01–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उन्हें सुने बिना पारित किया गया है तथा राजस्व कैम्प में प्रकरण रखे जाने की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षां की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 16–05–2018 को प्रकरण रखे जाने की सूचना अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा उक्त निर्णय उभयपक्षों की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से वकील श्री सी. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से

पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि प्रकरण बहस हेतु नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की बिना बहस सुने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखा गया, जिसकी कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी है तथा बिना बहस सुने पक्षकारान के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1 से 9 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस हेतु नियत थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना बहस सुने प्रकरण लोक अदालत में दिनांक 16—05—2018 को रखकर अधिवक्ता पक्षकारान की उनकी अनुपस्थिति में कथित निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16—05—2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जातो है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22—07—2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............
उदयपुर.............

व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....
....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं........47/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........रेलमगरा.......... मुकाम................मुवर्खे.............18...............माह..............
07............2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........13....माह........03.......सन् 2019 रूबरू........
पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........13......माह.......03...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।